HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16896/2025

Jaipal @ Jp @ Bachya S/o Suwalal, Aged About 35 Years, R/o Dampura By Or, Tan -Sanwal Pura Sekhawatan, Police Station Ajitgarh, District Sikar Raj. (At Present In Judicial Custody At District Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dinesh Pareek with Mr. Sarosh Khan
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना प्रतापगढ़, जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर दिनांक 03.12.2025 को गिरफ्तार किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध, जो पूर्व के आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, उनमें से तीन प्रकरण तो तत्काल बनाए गए हैं और अन्य प्रकरणों में से एक में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त से प्रकरण में किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्राप्त की गई हैं, उसमें प्रार्थी–अभियुक्त दिखाई नहीं दे रहा है और जो बोलेरो गाड़ी दिखाई दे रही है, वह भी प्रार्थी–अभियुक्त की नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अब आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 331(4), 305(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का अभियोग है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर जंगला तोड़कर घर से जेवरात आदि की चोरी की है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के दस आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं तथा प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 331(4), 305(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का अभियोग है। प्रकरण में प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी किया जाना दर्शित नहीं है। अनुसंधान से प्रकरण में प्रयुक्त वाहन का प्रार्थी–अभियुक्त से कोई संबंध होना प्रथमदृष्ट्या प्रकट नहीं हो रहा है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी दिनांक 03.12.2025 से निरंतर अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा कार्यवाही में समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /30